भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3309
बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

ओडिशा में महिलाओं के लिए योजनाएं

3309. श्री सुजीत कुमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों, विशेषकर ओडिशा में महिलाओं के लिए संचालित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन कार्यक्रमों और इनमें शामिल क्षेत्रों/व्यापारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधि और इसमें से उपयोग की गई कुल धनराशि का ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के माध्यम से कितनी महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग) कौशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) हेतु प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) का कार्यान्वयन कर रहा है।

शुरूआत से पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के तहत, योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों को जनवरी, 21 तक 7115 करोड़ (लगभग) की निधियां संस्वीकृत की गई है। पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के दो घटक नामतः केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) एवं केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) हैं। पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के सीएसएसएम घटक के तहत राज्य-वार निधियों के आवंटन का प्रावधान है। गैर/नए साक्षर व्यक्तियों के व्यावसायिक कौशल एवं तकनीकी ज्ञान में सुधार करने के उद्देश्य से देश में अपने संस्थागत ढांचे के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ाने तथा प्रशिक्षुओं की व्यस्तता में वृद्धि करने के उद्देश्य से एमएसएमई सहित प्रतिष्ठानों की अधिकतम संख्या तक पहुंच के लिए विशेष प्रयासों वाली राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) प्रारंभ की है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने महिलाओं सहित देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20), जेएसएस एवं एनएपीएस के तहत संवितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-। के कॉलम (क) पर दिया गया है।

पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) (सीएससीएम+सीएसएसएम), जेएसएस एवं एनएपीएस के तहत लाभान्वित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-। के कॉलम (ख) में दी गई है।

पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के तहत लाभान्वित महिला अभ्यर्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-।। पर दी गई है।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 24-03-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3309 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20), जेएसएस एवं एनएपीएस के तहत संवितरित निधियों एवं लाभार्थी अभ्यर्थियों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	संवितरित निधियां (क)			प्रशिक्षित अभ्यर्थी (ख)		
	सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई 2.0 (जनवरी'21 तक) (रु.में)	एनएपीएस (2016-20 से 20-21 जनवरी'21 तक) (करोड़ में)	जेएसएस (2018-19 to 20-21 अगस्त'20 तक) (रु.में)	सीएससीएम एवं सीएसएसएम - पीएमकेवीवाई 2.0	शिक्षुओं की संख्या	जेएसएस (2018-19 से 20-21 (जनवरी'21)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,10,94,164	0		2,462	0	
आंध्र प्रदेश	54,92,66,464	11.532	6,27,80,766	2,88,370	33,324	16,683
अरुणाचल प्रदेश	14,42,49,768	0	65,25,000	67,839	0	726
असम	36,95,32,800	0	5,39,22,411	6,21,930	7,664	13,659
बिहार	36,81,62,449	0.157	11,44,19,724	4,52,919	4,201	35,701
चंडीगढ़	6,15,88,800	0.104	90,15,773	18,197	1,407	2,694
छत्तीसगढ	35,57,76,000	0.071	6,46,22,934	1,10,433	12,303	19,567
दिल्ली	15,39,72,000	0.43	2,92,69,765	3,58,277	15,541	8,225
गोवा	10,70,25,937	0.022	1,06,33,720	6,845	1,932	2,874
गुजरात	46,94,93,826	30.912	10,23,75,336	3,28,356	1,98,675	27,786
हरियाणा	36,56,99,375	15.479	4,93,85,867	5,23,106	1,06,092	13,745
हिमाचल प्रदेश	21,55,60,800	0.24	59,25,000	1,06,608	11,737	3,124
जम्मू और कश्मीर	22,94,18,280	0.1	1,61,47,336	2,54,382	2,243	5,047
झारखंड	29,59,64,978	1.744	2,43,85,697	2,62,045	26,688	7,992
कर्नाटक	21,43,95,135	4.082	8,33,29,296	4,13,738	65,479	26,812
केरल	22,00,25,988	1.298	8,78,78,194	2,26,789	23,716	23,387
लद्दाख	0	0	0	2,267	0	0
लक्षद्वीप	1,23,17,760	0	0	150	0	0
मध्य प्रदेश	27,32,80,576	4.734	27,38,01,656	6,51,665	33,297	78,951
महाराष्ट्र	85,77,62,615	19.768	20,52,82,890	9,88,847	2,19,201	59,878
मणिपुर	32,59,88,939	0	3,02,56,624	75,946	11	7,522
मेघालय	12,77,96,760	0	0	37,726	73	0
मिजोरम	22,12,73,161	0	0	24,647	0	0
नागालैंड	25,44,76,980	0	84,25,000	31,323	0	2,500
ओडिशा	27,71,49,600	0.966	16,43,98,775	4,55,033	19,965	45,136
पुडुचेरी	11,34,51,280	0.251		18,894	2,382	
पंजाब	40,39,52,000	1.85	1,95,44,859	3,40,522	13,755	5,001
राजस्थान	26,19,35,789	3.97	4,91,19,636	9,09,477	18,381	13,351
सिक्किम	4,77,31,320	0.144		10,281	142	
तमिलनाडु	68,86,21,440	10.409	6,85,56,432	5,20,389	59,126	19,566
तेलंगाना	31,54,64,472	2.398	6,02,91,609	2,77,484	37,019	20,526
दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	4,11,10,524	0.231	1,02,23,272	10,119	795	2,172
त्रिपुरा	22,80,06,870	0.001	80,72,037	1,17,731	1,418	2,555
उत्तर प्रदेश	52,26,00,000	9.429	46,89,89,445	15,87,314	89,275	1,31,090
उत्तराखंड	52,50,78,040	2.609	5,75,96,198	2,16,544	13,639	17,858
पश्चिम बंगाल	38,04,64,812	1.902	7,80,85,550	3,77,427	15,489	20,863
योग	**10,01,96,89,702**	**124.833**	**2,22,32,60,802**	**1,06,96,082**	**10,34,970**	**6,34,991**

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 24-03-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3309 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेवीवाई योजना के तहत रिपोर्टित नियोजित महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	प्रशिक्षत	प्रमाणित	रिपोर्ट किए गए नियोजित
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,179	492	113
आंध्र प्रदेश	1,27,589	98,553	41,062
अरुणाचल प्रदेश	41,485	20,135	2,843
असम	3,75,490	2,31,974	25,265
बिहार	1,56,555	1,23,212	34,531
चंडीगढ़	9,046	7,256	2,935
छत्तीसगढ	52,751	40,319	13,463
दिल्ली	1,66,326	1,38,142	40,723
गोवा	1,819	1,376	357
गुजरात	1,33,209	1,08,986	33,788
हरियाणा	1,81,509	1,54,175	71,214
हिमाचल प्रदेश	57,352	46,165	14,305
जम्मू और कश्मीर	1,22,805	96,325	29,474
झारखंड	1,10,088	88,899	13,378
कर्नाटक	1,52,399	1,23,468	27,306
केरल	90,514	70,406	10,704
लद्दाख	1,388	950	584
लक्षद्वीप	44	8	0
मध्य प्रदेश	2,83,355	2,28,959	89,094
महाराष्ट्र	2,94,580	2,20,390	26,911
मणिपुर	57,203	38,939	7,233
मेघालय	19,766	13,132	4,127
मिजोरम	15,333	8,807	4,379
नागालैंड	19,535	13,392	2,527
ओडिशा	1,62,419	1,20,910	25,833
पुडुचेरी	10,141	8,447	5,596
पंजाब	1,64,516	1,33,715	59,365
राजस्थान	3,55,630	3,20,091	65,518
सिक्किम	5,732	3,845	862
तमिलनाडु	2,96,173	2,40,154	93,093
तेलंगाना	1,11,032	92,211	47,211
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4,793	4,100	1,466
त्रिपुरा	51,931	34,699	5,270
उतार प्रदेश	6,60,542	5,39,375	1,23,267
उत्तराखंड	1,20,768	96,463	24,937
पश्चिम बंगाल	1,56,649	1,26,670	45,284
कुल योग	45,71,646	35,95,140	9,94,018